संख्या-753/2017/438/22-2-2017-17(111)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017***

विषय:- जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी गंगा देवी पत्नी श्री जोरावर निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी गंगा देवी पत्नी श्री जोरावर निवासी-ग्राम-जमालपुर, थाना-वजीरगंज, जनपद-बदायूँ की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 11.03.2012 को महिला बन्दी ने अपने 01 अन्य सहअभियुक्त् के साथ मिलकर गला घोटकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-466/2012 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-6, बदायूँ के आदेश दिनांक 29.06.2013 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2016 तक 02 वर्ष 09 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 05 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। महिला बन्दी का 01 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहा है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति पर विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा, के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी गंगा देवी (बन्दी संख्या-346/2013) पत्नी श्री जोरावर निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-753/2017/438/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बदायूँ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in